न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 54 / 2024

प्रार्थीगण

1. माधवसिंह पुत्र मलाराम
2. भंवरीदेवी पत्नी मलाराम
3. पिन्की पुत्री मलाराम
4. भंवरलाल पुत्र रतनाराम जातियान सीरवी निवासीगण ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भंवरलाल पुत्र जोराराम
2. सुन्दरी पत्नी जोराराम जातियान सीरवी निवासीगण ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:– प्रार्थीगण की ओर से श्री डी डी रामावत अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री पुनाराम सीरवी अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 3– सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: दिनांक 18/12/24

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 587 / 2190 रकबा 0.7524 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आई हुई है, जिसके खाता संख्या 765 है जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में प्रार्थी सख्या 1 से 3 के पिताध्पति मलाराम व प्रार्थी संख्या 4 के नाम दर्ज है। जिसकी ताईद में जमाबन्दी की सत्य प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र के बकाया पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 587 / 2190 रकबा 0.7524 हैक्टेयर आई हुई है। जिसके उत्तर में अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 587 / 2189 आई हुई है। विवादित भूमि के उतरी माठ की तरफ करीब 1 बीघा भूमि मौके पर पथरीली भूमि रही है, जिस पर शुरू में प्रार्थीगण के पशु बांधने का बाड़ा कायम था, जिसमें प्रार्थीगण के कृषि जरूरत की फसल आदि का भण्डारण किया जाता रहा तथा कालान्तर में इसे प्रार्थीगण लाखों रूपयें लगाकर काबिल काश्त किया। वर्तमान में बाड़े की दक्षिणी बाड़ मौके पर कायम है. जिसका निकाल वादग्रस्त भूमि में है. जो वादग्रस्त भूमि का भाग है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि से अन्यंत्र करीब डेढ़–दो कि. मी. दूर निवास करते है जबकि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि से उत्तर की

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तरफ उनकी खातेदारी की भूमि पर ही निवास करते है। जिसके चलते उन्होने वादग्रस्त भूमि में उत्तरी तरफ बने बाड़े की उतरी माठ को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने खुर्द बुर्द कर दिया। जिस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 24.07.2024 को इस बाबत् अप्रार्थीगण को उल्हाना दिया, जिस पर उन्होने एलानिया कहा कि विवादित भूमि के उत्तरी तरफ करीब 1 बीघा जमीन पर वे जबरन कब्जा कर लेंगे जो उनकी भूमि का ही अंग है। जिस पर प्रार्थीगण ने पूर्व में करवाये गये वादग्रस्त भूमि के नाप. का हवाला देकर समझाईश की फिर भी अप्रार्थीगण नही मान रहे है तथा दिनांक 24.07.2024 को इसमें खडाई करते वक्त अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के साथ धक्का धुम किया तथा वादग्रस्त भूमि में बेजा दखल दिया, आगे कृषि कार्य करने की दशा में बुरे अंजाम भुगतने की प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण ने एलानिया धमकी दी। अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से में काश्त करने, निर्माण करने इत्यादि का हक व अधिकार नही है। इसके उपरान्त उन्होने वादग्रस्त भूमि के उतरी तरफ बने बाड़े की उतरी मेड़ को हटा दिया तथा इसकी आड़ में वादग्रस्त भूमि में बने प्रार्थीगण के बाड़े को जबरन हथियाने पर आमादा है। जिस पर प्रार्थीगण को मजबूरन अप्रार्थीगण के विरूद्ध मौजूदा प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना पड़ रहा है। वादकारण प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के उतर तरफ स्थित अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 587/2189 की आड़ में वादग्रस्त भूमि पर इसके उतरी हिस्से में बने बाड़े की उतरी भाठ को खुर्द बुर्द करने, समझाईश पर प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी देने पर दिनांक 24.07.2024 को ग्रामं खारिया मीठापुर में उत्पन्न हुआ। जिस पर प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध अलग से वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसमें सफलता मिलने की प्रार्थीगण को पुरी आशा है। वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में प्रार्थीगण का प्रकरण अत्यन्त सुदृढ है तथा मौके पर उनका कब्जा काश्त है सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण को दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वे वादग्रस्त जमीन पर नाजायज रूप से कब्जा कर लेंगे, जिससे वाद में पैचिदगिया बढेगी ऐसे हालात में प्रार्थीगण के साथ बेजा अन्याय होगा तथा वे उनके हक हिस्से की भूमि से वंचित हो जायेंगे एवं नाहक अप्रार्थीगण जबरन हिस्से से अधिक जमीन हथिया लेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना प्रार्थीगण है कि मूल वाद के विचारण तक ग्राम खारिया भीठापुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 587/2190 रकबा 0.7524 हैक्टेयर के किसी भी हिस्से पर प्रार्थीगण के कब्जे में किसी भी रिती से दखल नही करने एवं वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को किसी भी रिती से बेदखल नही करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस तामिल होकर प्राप्त

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बेलाड़ा

हुए। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री पुनाराम सिरवी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 587/2190 व अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की भूमि खसरा नम्बर 587/2189 के बीच मे रास्ता चलता है। यानि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 587/2190 के उत्तर दिशा की तरफ रास्ता चलता है रास्ते के पास ही अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 587/2189 स्थित है जो अप्रार्थीगण की स्वयं की भूमि है। उक्त भूमि मे प्रार्थीगण का बाड़ा आज दिन तक नही रहा है तथा प्रार्थीगण अपनी मवेशी बांधने या कृषि जिन्स का भण्डारण करने के रूप में आज दिन तक उपयोग नही लिया जा रहा है। जहां पर प्रार्थीगण अपनी भूमि बता रहे है वहां पर अप्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी की भूमि है जिसमे अप्रार्थीगण मौके पर कृषि करते है तथा आज दिन मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की फसल खड़ी है। बावजूद प्रार्थीगण ने अपनी भूमि होना गलत तथ्य अंकन कर उक्त वाद बिना आधार एवं बिना तथ्यों के माननीय न्यायालय मे पेश किया है जिसे भारी खर्चे हर्जे के साथ खारीज किया जावे । खसरा नम्बर 587/2189 मे प्रार्थीगण आज दिन तक कब्जा काश्त नही रहा है। बावजूद प्रार्थीगण ने अपनी भूमि के उत्तरी माठ पर पत्थरीली भूमि गलत रूप से बताई है जहां पर प्रार्थी पत्थरीली भूमि बता रहे है वह भूमि अप्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी की भूमि है। तथा आज दिन तक प्रार्थीगण ने किसी भी तरह से उपयोग व उपभोग मे नही लिया है । बावजूद प्रार्थीगण वादग्रस्त जमीन से एक से डेढ किलोमीटर दूर निवास करने के बाद बाड़ा प्रार्थीगण ने किसके लिये बनाया था इस प्रकार प्रार्थीगण ने कहानी रच कर झूठे तथ्य बता कर एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौका की स्थिति को छुपा कर न्यायालय को गुमराह कर अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि को हड़पने की नियत से कि खसरा नम्बर 587/2189 मे हमारी भूमि आती है का हवाला देकर प्रार्थीगण अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 587/2189 को जबरन हड़पना चाहते है। प्रार्थीगण जहां पर अपनी भूमि बता रहे है वहां पर अप्रार्थीगण काश्त करते है आज दिन तक प्रार्थीगण ने भूमि की पैमाईस नही करवाई है यदि पैमाईस करवाई होती तो उसको कोई दस्तावेज वाद एवं प्रार्थना-पत्र के साथ पेश करता था जो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली मे मौजुद नही है तथा कोई माठ मौके पर नही थी तथा किसी भी माठ को अप्रार्थीगण ने आज दिन तक खुर्द बुर्द नही किया है। तथा आज दिन तक प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उलाहना आदि नही दिया है मात्र अप्रार्थीगण की भूमिं खसरा नम्बर 587/2189 को हड़पने की नियत से झूठे तथ्य बता कर उक्त प्रार्थना-पत्र पेश किया है तथा प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 587/2190 व अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 587/2189 के बीच पीढियो से रास्ता चल रहा है जो आज दिन मौके पर रास्ता कायम है व चल रहा है जो आगे अन्य खेतों मे जाता है जिसका विगत 50 वर्षों से उपयोग व उपभोग में ले रहे है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र सारहीन होने से प्रार्थीगण का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
[illegible]

प्रार्थना–पत्र काबिल खारीज के है। बावजूद बिना कब्जा व बिना सबूत के वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है जिसमे प्रार्थीगण को मूल वाद मे कोई सफलता मिलने की उम्मीद नही है। प्रार्थीगण को वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है क्योकि अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 587/2189 व प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 587/2190 के बीच मे पीढियो से रास्ता चल रहा है जो मौके पर वर्तमान में मौजुद है व चल रहा है तथा खेतो वाले रास्ता का उपयोग व उपभोग लगातार करते आ रहे है। इसलिये अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने का एवं धमकीया देने का कोई प्रश्न नही उठता है। प्रार्थीगण ने बिल्कुल झूठे तथ्य बता कर वाद एवं प्रार्थना–पत्र पेश किया है जिसमे प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नही होता है। खसरा नम्बर 587/2189 पर एक मात्र कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का है बावजूद प्रार्थीगण बिना सबूत एवं लाठियो के बल पर अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 587/2189 पर जबरन कब्जा कर लिया तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को होगी चूकि मौके पर कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का है। प्रार्थीगण को कोई किसी भी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही हो रही है एवं प्रथम दृष्टया मामला भी अप्रार्थीगण के पक्ष मे है एवं सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में बावजूद प्रार्थीगण लाठियो के बल पर काबिज हो गये तो अप्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगे जिसके लिये अप्रार्थीगण को दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर होना पड़ेगा तथा अपनी जमीन से भी हमेशा हमेशा के लिये वंचित होना पड़ेगा जिससे लाखों रूपयो का नुकसान अप्रार्थीगण को होगा।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र सारहीन होने एवं दस्तावेज साक्ष्य के अभाव मे एवं बिना दस्तावेज के जो प्रार्थना–पत्र पेश किया है भारी खर्चे हर्जे के साथ खारीज किया जावे । अप्रार्थी सं. 3 सरकारी पैरोकार प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रथम दृष्टया मामले को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 587/2190 रकबा 0.7524 हैक्टयर आई हुयी है, जिसमें प्रार्थी सं. 1 से 3 के पिता/पति मलाराम व प्रार्थी सं. 4 के नाम दर्ज है। जिसके उतर में अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि खसरा नंबर 587/2189 आई हुई है। विवादित भूमि के उतरी माठ की तरफ पथरीली भूमि पर पशु बांधने का बाडा कायम था जिसे प्रार्थीगण लाखों रूपये लगाकर काबिल काश्त किया। जबकि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि से उतर की तरफ

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उनकी खातेदारी की भूमि पर ही निवास करते है जिसके चलते उन्होने वादग्रस्त भूमि में उतरी तरफ बने बाडे की उतरी माठ को अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने खुर्द बुर्द कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को उल्हाना दिया, जिस पर उन्होनें एलानिया कहा कि विवादित भूमि के उतरी तरफ करीब 1 बीघा जमीन पर वे जबरन कब्जा कर लेंगे जो उनकी भूमि का ही अंग है। प्रार्थी द्वारा ग्राम खारिया मीठापुर के खसरा नंबर 587/2190 रकबा 0.7524 हैक्टयर में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 587/2190 व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की भूमि खसरा नंबर 587/2189 के बीच में रास्ता चलता है। रास्ते के पास ही अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 587/2189 स्थित है जहां प्रार्थीगण अपनी भूमि बता रहे है वहां पर अप्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी की भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण मौके पर कृषि करते है। प्रार्थीगण ने उतरी माठ पर पथरीली भूमि बताई जो अप्रार्थीगण स्वयं की भूमि है। अप्रार्थीगण ने आज दिन तक किसी भी माठ को खुर्द बुर्द नहीं किया है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 587/2190 व अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 587/2189 के बीच पीढियों से रास्ता चल रहा है जो आज दिन मौके पर रास्ता कायम है जो आगे अन्य खेतों में जाता है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादंग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 से 4 रेकर्डेड खातेदार है। जबकि अप्रार्थीगण का विवादग्रस्त भूमि में नाम इन्द्राज नहीं है। धारा 212 राजस्थान टीनेसी एक्ट में प्रावधान है कि वादग्रस्त भूमि को नुकसान पहुचाने की नियत से खतरा हो तो ऐसी स्थिति में सम्पति की सुरक्षा हेतु अनुतोष के रूप में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अधिकार के संबंध में गंभीर एवं सद्भावी डिस्प्यूट मानते हुए दावे का निस्तारण तक आराजी को हस्तान्तरित नही करना चाहिए। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है।

2. **सुविधा का संतुलन** :– वादग्रस्त आराजी भंवरलाल पुत्र रतनाराम व मलाराम पुत्र रतनाराम की होने तथा प्रार्थी सं. 1से 3 के खातेदार मलाराम के पुत्र/पत्नी/पुत्री होने के कारण विधिक वारिसान होने से वादग्रस्त आराजी में अपने 1/2 हिस्सा निहित होना माना है तथा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है। अतः प्रार्थीगण के हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होना निहित होता है। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह विश्वास किया जाये कि सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित नही है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
(सिवाड़ा)

3. अपूर्णनीय क्षति :– प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में केवल प्रार्थीगण का नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि अगर उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती तो उन्हे किस प्रकार से अपूर्णीय क्षति हो सकती है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में भली–भांति साबित होने से प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया सफल रहा हैं, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी का वर्तमान भू अभिलेख में परिवर्तन नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण / वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा के खसरा संख्या 587 / 2190 रकबा 0.7524 हैक्टयर के वर्तमान भू अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे, वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण आदि नही करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 18/12/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा